प्रेस नोट दिनांक 22.07.2024

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हुलासगढ़ में हुई चोरी की घटना से संबंधित 03 अभियुक्तों को 48 घण्टों के अन्दर किया गया गिरफ्तार

थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरे फत्ते गांव से पहले पुलिया के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 01 अदद बैटरी, 01 अदद छोटा इंजन मय पम्प सेट बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 19.07.2024 की रात्रि में थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हुलासगढ़ में वादी के घर के सामने खेत में ट्रैक्टर से गांव के व्यक्तियों द्वारा बैटरी चोरी कर ले जाने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 288/2024 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्त* का अभियोग पंजीकृत किया गया था । अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जी रही थी ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में दिनांक 21.07.2024 को उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 भुवाल सिंह मय हमराह का0 मुकेश कुमार, चालक का0 माधवेश राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ विवेचनात्मक के दौरान, प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 288/2024 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों को 48 घण्टे के अन्दर 01. विपिन सरोज पुत्र जीतलाल सरोज निवासी हुलासगढ़ थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ 02. विनोद वर्मा पुत्र रामशंकर वर्मा निवासी ग्राम पूरे फत्ते(सन्त नगर) थाना ललागंज,जनपद प्रतापगढ़ 03. सुल्तान सिंह पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम हुलासगढ़ थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत पूरे फत्ते गांव से पहले पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों की निशाननदेही पर ग्राम हुलासगढ़ व ग्राम पूरे फत्ते से चोरी की 01 अदद बैटरी (AMARON HEAVY DUTY BLACK), 01 अदद छोटा इंजन मय पम्प सेट बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) भादवि की बढ़ोत्तरी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अभियुक्त विपिन सरोज पुत्र जीतलाल सरोज निवासी हुलासगढ़ थाना लालगंज, प्रतापगढ़ ।

02. विनोद वर्मा पुत्र रामशंकर वर्मा निवासी ग्राम पूरे फत्ते(सन्त नगर) थाना ललागंज,प्रतापगढ़।

03. सुल्तान सिंह पुत्र रामप्यारे निवासी ग्राम हुलासगढ़ थाना लालगंज, प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01. चोरी की 01 अदद बैटरी (AMARON HEAVY DUTY BLACK) बरामद ।

02. 01 अदद छोटा इंजन मय पम्प सेट बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सुनील कुमार यादव, उ0नि0 भुवाल सिंह मय हमराह का0 मुकेश कुमार, चालक का0 माधवेश राय थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

लगभग 02-02 दर्जन जघन्य अपराधों में संलिप्त 02 अन्तर्जनपीय अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत विक्रमपुर में हुई चोरी की घटना में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्व लगभग 02-02 दर्जन अभियोग पंजीकृत है

अभियुक्त सत्यम सिंह उपरोक्त जनपद अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में चोरी जैसे लगभग 02 दर्जन अपराधों में संलिप्त

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह सिंह उपरोक्त जनपद अमेठी, प्रतापगढ़ मेंहत्या,चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे लगभग 02 दर्जन जघन्य अपराधों में संलिप्त

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत पडवासी पुलिया के पास 01 मोटर साइकिल सवार 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त सत्यम सिंह उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस एवं अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उपरोक्त के कब्जे से 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर 01 इन्वर्टर, एक स्टेबलाइजर, एक बैटरा LIV FAST-160AH, एक बैटरा V GUARD, एक LCD बरामद किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2024 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत विक्रमपुर में वादिनी के घर से पडोस के रहने वाले व्यक्तियों द्वारा 01 LED टीवी, 01 साउड स्पीकर सेट, DVD बाईफाई, 02 इन्वर्टर, 02 बैटरी, 01 स्टेबलाइजर, सेन्टअप बक्स, पीतल के बर्तन, एल्यूमीनियम, सोने के गहने, अन्य सामान, एवं 12000/- रुपये चोरी करने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 250/24 धारा 331(4),305 BNS बनाम 05 नामजद अभियुक्त व अन्य अज्ञात व्यक्ति का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष विनीत उपाध्याय के नेतृत्व में दिनांक 22.07.2024 को उ0नि0प्रशि0 अखिलेश प्रताप, उ0नि0 हरिन्द्र सिंह, मय हमराह हे0का0 अमानत अंसारी, का0 मनीष पाण्डेय,का0 प्रशांत यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 250/24 धारा 331(4),305 BNS से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मोहनगंज तिराहे पर मौजूद था । रात्रि अधिकारी उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराह का0 राजेश कुमार मय चालक का0 राहुल कुमार मौके पर आ गये । तभी मुखबिर आकर बताया कि उपरोक्त मुकदमें से संबंधित 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग पडवासी पुलिया पर मौजूद है । अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं जो किसी अपराध की घटना की अंजाम देने की फिराक में है यदि जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं । मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर घेराबंदी किए तो दो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चार व्यक्ति भगाने का प्रयास किए भागते हुए एक मोटरसाइकि थाना क्षेत्रान्तर्गत पडवासी पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल सवार 02 अभियुक्तों, 01. सत्यम सिंह पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी विक्रमपुर थाना कोतवाली देहात उम्र 24 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व चोरी के 1100/- रुपये नगद 02. सुरेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी पाण्डेय का पुरवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 35 वर्ष के कब्जे से एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर कारतूस चोरी के 550/- रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया । अन्य एक मोटर साइकिल सवार 02 व्यक्ति भोगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है ।

अभियुक्त सत्यम सिंह उपरोक्त के कब्जे से अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 251/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 252/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्तों की निशानदेही प्राथमिक विद्यालय विक्रमपुर के बगल खाली मकान के पास एक अदद इन्वर्टर, एक अदद स्टेबलाइजर, एक अदद बैटरा LIV FAST-160AH, एक अदद बैटरा V GUARD एक अदद LCD बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामदगी के आधार पर धारा 317(2),112 BNS की बढ़ोत्तरी की गई ।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया गया कि ग्राम विक्रमपुर में संतोष राठौर के बंद मकान से हम चारों लोगों ने मिलकर 17-18 जुलाई की रात को चोरी करके सामान निकाले थे, उसी चोरी में जो नगद पैसा मिला था, उसको 3-3 हजार रू0 आपस में बांट लिए थे । शेष पैसे खर्च हो गए, बरामद पैसे इस चोरी के बचे हुए पैसे हैं । कुछ छोटे समान जिसमे बर्तन और साउंड स्पीकर हमारे भागे हुए अन्य साथियों ने ले जाकर बेच दिया था । कुछ बड़े सामान अभी बेचें नही पाए, जिसमें LCD TV बैटरी, इनवर्टर, स्टेबलाइजर आदि छिपाकर हम लोगों ने रख लिए थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सत्यम सिंह उम्र 24 वर्ष पुत्र शिवबहादुर सिंह निवासी विक्रमपुर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

02. सुरेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र विजय बहादुर सिंह निवासी पाण्डेय का पुरवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

सत्यम सिंह उर्फ अभय सिंह पुत्र शिव बहादुर सिंह नि0ग्राम विक्रमपुर मोहनगंज थाना कोतवाली देहात का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 96/22 धारा 379, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

2. मु0अ0सं0 97/22 धारा 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी .

3. मु0अ0सं0 98/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी .

4. मु0अ0सं0 662/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि धारा 66, 66डी आईटी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।

5. मु0अ0सं0 285/21 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि धारा 66, 66सी, 66डी, 72 आईटी एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

6. मु0अ0सं0 149/22 धारा 379, 411, 419, 420 भादवि थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।

7. मु0अ0सं0 250/24 धारा 305, 331(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

8. मु0अ0सं0 360/20 धारा 41, 411, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

9. मु0अ0सं0 75/22 धारा 411, 413, 419, 420 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

10. मु0अ0सं0 05/22 धारा 34, 420, 467, 468, 471 भादवि व धारा 66, 66सी, 66डी, 72 आईटी एक्ट साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रयागराज सी.सी.एच.क्यू ।

सुरेन्द्र सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह नि0ग्राम पूरे पाण्डेय का पुरवा, पतुलकी थाना लीलापुर का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 167/17 धारा 302, 34, 504, 506 भादवि थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ ।

2. मु0अ0सं0 33/22 धारा 379, 411, 420 भादवि थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

3. मु0अ0सं0 34/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गौरीगंज जनपद अमेठी ।

4. मु0अ0सं0 195/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

5. मु0अ0सं0 196/22 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी .

6. मु0अ0सं0 199/22 धारा 419, 420 भादवि थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी ।

7. मु0अ0सं0 250/24 धारा 305, 331(4) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

8. मु0अ0सं0 252/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01. 01 देशी तमंचा 315 बोर बरामद

02. 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद

03. 01 इन्वर्टर बरामद

04. एक स्टेबलाइजर बरामद

05. एक बैटरा LIV FAST-160AH बरामद

06. एक बैटरा V GUARD बरामद

07. एक LCD बरामद

पुलिस टीम-

उ0नि0प्रशि0 अखिलेश प्रताप, उ0नि0 हरिन्द्र सिंह, उ0नि0 श्री राहुल कुमार मय हमराह हे0का0 अमानत अंसारी, का0 मनीष पाण्डेय, का0 प्रशांत यादव, का0 राजेश कुमार, चालक का0 राहुल कुमार थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना बाघराय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान क्षेत्रान्तर्गत मकूनी फाटक के पास शकरदहा से 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त आकाश शुक्ला उपरोक्त गैगेस्टर, हत्या, आर्म्स एक्ट जैसे जघन्य अपराधों में सलिप्त

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष बाघराय के नेतृत्व में उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह का0 सचिन ठैनुआ, का0 राजेन्द्र तिवारी, का0 संदीप तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद कारतूस के साथ 01 अभियुक्त आकाश शुक्ला उर्फ प्रशान्त शुक्ला पुत्र प्रकाश चन्द्र शुक्ला उर्फ रज्जन शुक्ला निवासी कोडरासाल थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत मकूनी फाटक के पास शकरदहा से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश शुक्ला उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया । उक्त बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0 244/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आकाश शुक्ला उर्फ प्रशान्त शुक्ला पुत्र प्रकाश चन्द्र शुक्ला उर्फ रज्जन शुक्ला निवासी कोडरासाल थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त आकाश शुक्ला पुत्र प्रकाश चन्द्र शुक्ला नि0ासी कोड़रासाल (कल्यानपुर) थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 83/17 धारा 302, 120बी भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट व धारा 27(1)ए आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

2. मु0अ0सं0 206/12 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

3. मु0अ0सं0 283/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

4. मु0अ0सं0 244/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर बरामद

03 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवीदयाल कश्यप मय हमराह का0 सचिन ठैनुआ, का0 राजेन्द्र तिवारी, का0 संदीप तिवारी थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौराडांड में हुई मारपीट, गाली-गलौज करना, जान से मार देने की धमकी देने एवं गैर इरादतन हत्या से संबंधित 03 अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार

थाना क्षेत्रान्तर्गत के 01 व्यक्ति के आम महुआ की बाग के पास से अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना अंतू क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौराडांड में आरोपीगण द्वारा लाठी- डण्डो से मारपीट करना, गाली- गलौज करना, जान से मार देने की धमकी देने एवं गैर इरादतन हत्या कर देने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना अंतू में मु0अ0सं0- 427/2024 धारा 105,352,351(3),3(5)बीएनएस बनाम 1- विकास पाण्डेय पुत्र तरूण कुमार उर्फ झल्लर निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 2- तरूण कुमार उर्फ झल्लर पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 3- अरूण पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिवनारायण वैश्य के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष अंतू जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 अंकित सिंह, का0 अनिल यादव, का0 अंकित यादव, का0 छोटक चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी, अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 427/2024 धारा 105,352,351(3),3(5)बीएनएस से संबंधित 03 वांछित अभियुक्त, 1- विकास पाण्डेय पुत्र तरूण कुमार उर्फ झल्लर निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 2- तरूण कुमार उर्फ झल्लर पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़, 3- अरूण पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के दानबहादुर सिंह की आम महुआ की बाग के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- विकास पाण्डेय पुत्र तरूण कुमार उर्फ झल्लर निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

2- तरूण कुमार उर्फ झल्लर पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

3- अरूण पाण्डेय पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम गौराडाँड थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह उ0नि0 अंकित सिंह, का0 अनिल यादव, का0 अंकित यादव, का0 छोटक चौधरी थाना अंतू, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 06.07.2024 वादिनी की पुत्री को अपहरण करने के संबंध वादिनी की तहरीर के आधार पर धारा 142 बीएनएस बनाम 01 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना के उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 अमित यादव का0 शैलेष चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान धारा 142 बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त अब्दुल सलाम पुत्र मो0 अजीज निवासी दिखतन गुड्डू तिराहा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को थाना बाघराय ग्राम दिखतन गुड्डू तिराहा के घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अब्दुल सलाम पुत्र मो0 अजीज निवासी दिखतन गुड्डू तिराहा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 हेमन्त यादव मय हमराह का0 अमित यादव का0 शैलेष चौहान थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण कर, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म करने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.06.2024 को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दौलतपुर से वादी की पुत्री को अपहरण कर, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने, दुष्कर्म करने के संबंध में थाना जेठवारा में धारा 366, 376, 323, 506, 120बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना के उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 रवि वर्मा, का0 आशुतोष चौबे द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान धारा 366, 376, 323, 506, 120बी भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दीपक धुरिया उर्फ दीपू पुत्र शम्भू निवासी परसपुर थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम परसपुर के घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक धुरिया उर्फ दीपू पुत्र शम्भू निवासी परसपुर थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 बंशीधर राय मय हमराह का0 रवि वर्मा, का0 आशुतोष चौबे थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत शकरदहा नहर पुलिया के पास से अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

अपहरण करना, नशीली दबा पिलाना, दुष्कर्म करना, जान से मारने की धमकी देना एवं वीडियो/ फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला गिरफ्तार किया गया अभियुक्त

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की पुत्री को आरोपीगण द्वारा अपहरण करना, नशीली दबा पिलाना, दुष्कर्म करना, जान से मारने की धमकी देना एवं वीडियो/ फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में दिनांक 21.06.2024 को धारा 328, 365, 376डी(ए), 506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 67 आइटी एक्ट बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय के प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह का0 बौबी चौधरी, का0 राहुल शर्मा, म0का0 उर्मिला देवी चालक हे0का0 राजाराम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना बाघराय में धारा 328, 365, 376डी(ए), 506 भादवि व 5जी/6 पॉक्सो एक्ट व 67 आइटी एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त आनन्द सिंह पुत्र बीरेन्द्र निवासी ग्राम वंशियारा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 22.07.2024 को थाना क्षेत्रान्तर्गत शकरदहा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

आनन्द सिंह पुत्र बीरेन्द्र निवासी ग्राम वंशियारा थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार मय हमराह का0 बौबी चौधरी, का0 राहुल शर्मा, म0का0 उर्मिला देवी चालक हे0का0 राजाराम सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना सांगीपुर के उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का0 अमित कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0 6416/2023 धारा 147, 148, 323, 504, 506, 427, 352, 308 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त बद्रीप्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 गयाप्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम बरेन्द्र थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

बद्रीप्रसाद जायसवाल पुत्र स्व0 गयाप्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम बरेन्द्र थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का0 अमित कुमार थाना सांगीपुर , जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोहंडौर के उ0नि0 सीताराम यादव मय हमराह का0 रितेश कुमार झाँ, पीआरडी शिव कुमार यादव, चालक पीआरडी विजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद संख्या 9909/21, मु0अ0सं0 21/015 धारा 380, 411,413 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त प्रदीप कुमार मिश्र उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी सुन्दरपुर थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ एवं वाद संख्या 316/11, मु0अ0सं0 149/2008 धारा 307 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त रमेश चन्द्र पुत्र रामनारायण मिश्र निवासी सतेवर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

01. प्रदीप कुमार मिश्र उर्फ बच्चा पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी सुन्दरपुर थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. रमेश चन्द्र पुत्र रामनारायण मिश्र निवासी सतेवर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सीताराम यादव मय हमराह का0 रितेश कुमार झाँ, पीआरडी शिव कुमार यादव, चालक पीआरडी विजय कुमार थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़ ।